केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय,भारतसरकारके अधीन
स्वायत संस्थान
संभागीयकार्यालय,कोलकाता
ई.बी.ब्लॉक,सैक्टर-1,लाबोनी,साल्टलेक,
कोलकाता700064 -

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
An Autonomous Body under Ministry of Education, Govt .of India
Regional Office, Kolkata, EB Block, Sector-I, Laboni, Salt Lake, Kolkata-700064
Ph : 033 23372577(DC) / 23219490 (ACs)
Email : kvskolkata64@gmail.com, acadrokolkota@gmail.com
Web: https://rokolkata.kvs.gov.in/

फा 25025/01/2023/केवीएस(कोल)/ 15555 -15618 दिनांक: 09.01.2024

सेवा मे, मेल
प्राचार्य,
केन्द्रीय विद्यालय,
कोलकाता संभाग ।

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति के दौरान दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कारवाई के संबंध मे ।
संदर्भ: फा 11097/49/2024/केवीएस(मु.)/हिं./5023-52 दिनांक 8 जनवरी, 2024

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा के.वि.सं. के अधीनस्थ विद्यालयो का राजभाषा निरीक्षण किया जा रहा है । माननीय समिति द्वारा किए जाने वाले इस निरीक्षणों के पश्चात कुछ कारवाई की जानी होती है । दिनांक 29.11.2023 को केन्द्रीय विद्यालय कालिमपोंग, जीसीसीआरपीएफ़ सिलीगुड़ी, गंगटोक, रंभी एनएचपीसी एवं सुकना का निरीक्षण किया जा चुका है। इन पाँच केन्द्रीय विद्यालयो एवं अन्य केन्द्रीय विद्यालयो का अनुवर्ती कारवाई की रिपोर्ट यदि बाकी है तो तुरंत भिजवाना सुनिश्चित करे । इस संबंध मे केवीएस(मु.) से प्राप्त पत्र दिनांक 08 जनवरी की प्रति आपको सूचना एवं अनुपालन हेतु प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय,

09/1/24
(संजीब सिन्हा)
उपायुक्त (प्र.)

संलग्न: यथोपरि ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीतसिंह मार्ग,
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली/New Delhi-110016
फोन न./Phone no.26858570, हिंदी अनुभाग
वेबसाइट/Website: www.kvsangathan.nic.in
ईमेल/Email: kvshindisection@gmail.com

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

फ.सं. 11097/49/2024-केविसं(मु.)/हिं. / 5023-52

दिनांक : 08 जनवरी, 2024

ई-मेल/तत्काल-डाक

उपायुक्त,
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त क्षेत्रीय कार्यालय

एवं

निदेशक
केन्द्रीय विद्यालय संगठन
समस्त आंचलिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

विषय : संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति को निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उल्लेख है कि संसदीय राजभाषा समिति की पहली उपसमिति द्वारा बड़ी आवृत्ति में केविसं के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालयों/विद्यालयों के राजभाषायी निरीक्षण किए जा रहे हैं। माननीय समिति द्वारा किए जाने वाले इन निरीक्षणों के संदर्भ में निरीक्षण के पश्चात की कुछ कार्रवाई हैं, जो कि निरीक्षित कार्यालय द्वारा की जानी होती है :-

(i) माननीय समिति द्वारा निरीक्षण बैठक के तुरंत बाद **'ध्यान देने योग्य बातें'** निरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को सौंपी जाती है, जिसमें दिए गए बिंदुओं पर संबंधित कार्यालय को कार्रवाई करनी होती है। 'ध्यान देने योग्य बातों' पर अनुवर्ती कारवाई की रिपोर्ट भिजवाते समय ध्यान रहे कि इसकी एक प्रति भी रिपोर्ट के साथ संलग्न की जाए।

(ii) संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण बैठक के दौरान संबंधित कार्यालय/विद्यालय द्वारा दिए जाने वाले **'आश्वासनों'** पर अनुवर्ती कारवाई की रिपोर्ट निर्धारित समायावधि में अनिवार्य रूप से भिजवा दी जाए और यदि किसी कार्यालय(जिनका संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण किया जा चुका अथवा किया जाता है) जिनके द्वारा यह रिपोर्ट अभी तक नहीं भिजवाई गई है या भिजवाई जानी है उनसे अपेक्षित है कि वे तो तुरंत भिजवान सुनिश्चित करें, ताकि उसे मंत्रालय के माध्यम से समिति सचिवालय भिजवाया जा सके।

अत: आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि क्र. (i) एवं (ii) के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समयावधि में रिपोर्ट संगठन(मुख्यालय) के माध्यम से समिति सचिवालय भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने अधीनस्थ विद्यालयों को भी इस विषय में निदेशित करते हुए यदि किसी कार्यालय/विद्यालय(जिनका निरीक्षण किया जा चुका है अथवा निरीक्षण किया जाता है) द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जानी लंबित है, तो तुरंत भिजवाना सुनिश्चित करें।

भवदीय

पी. देवकुमार 5/1/24

(डॉ. पी. देवकुमार)
संयुक्त आयुक्त (कार्मिक)